

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर

महावीर सिंह सुण्डा **बनाम** सरकार

किस्म मुकदमा :- अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
04/08/23	<p>पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। दर्ज की जावे। प्रकरण में संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी महावीर सिंह सुण्डा पुत्र झाबरराम सुण्डा निवासी कागासर तहसील लूनकरणसर एक भूतपूर्व सैनिक है जिसका नाम पैंशन पीपीओ, ड्राईविंग लाइसेन्स आधार कार्ड, आदि पहचान पत्रो मे महावीर सिंह सुण्डा है। जबकी रोही ग्राम गारबदेसर के खसरा नम्बर 1900 तादादी 10.4700 हैक्टेयर मे भी महावीर सिंह सुण्डा ही है। अन्य भूमि रोही ग्राम गारबदेसर खसरा नम्बर 614 तादादी 158.9100 हैक्टेयर बाराणी भूमि मे 506/15891 हिस्सा मे रजिस्ट्री करवाते समय प्रार्थी का बचपन का नाम महावीरराम लिख गया है। बैयनामा के समय प्रार्थी की आयु 13 वर्ष थी। प्रार्थी के सभी दस्तावेजो मे महावीर सिंह सुण्डा है। जो की सही है प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबंदी की फोटो प्रति, शपथ पत्रो सहित अन्य दस्तावेजो की फोटो प्रति पेश की जो शामिल पत्रावली है।</p> <p>हमारे द्वारा प्रार्थी के पक्ष मे प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत कागासर पत्र प्रस्तुत दस्तावेजो, शपथ पत्रो एवं अन्य सही नाम से प्रस्तुत जमाबन्दी के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट के तहत स्वीकार किया जाकर तहसीलदार राजस्व लूनकरणसर को राजस्व रिकॉर्ड रोही ग्राम गारबदेसर खसरा नम्बर 614 तादादी 158.9100 हैक्टेयर बाराणी भूमि मे 506/15891 हिस्सा मे प्रार्थी का महावीरराम के स्थान पर महावीर सिंह सुण्डा अंकित करने के आदेश दिए जाते है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार लूनकरणसर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो। यह निर्णय आज दिनांक 04/08/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>



(संजीव कुमार) अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरणसर